



Number of Programmes in which Choice Based Credit System (CBCS)/ elective course system has been implemented

Index

S.No	Content	Page No
1	List of Programmes	1
2	Affiliation Letter	2-12



List of Programmes

Program code	Program Name	Course code	Course Name	Year of introduction
C028	B.A	C028	Batchlor of Arts	1983
C028	B.A (COMPUTER APPLICATION)	C028	Batchlor of Arts	2013
C032	B.Com	C032	Batchlor of Commarce	1983
C198	B.Com (COMPUTER APPLICATION)	C198	Batchlor of Commarce	2002
C116	B.Sc (MATHS GROUP)	C116	Batchlor of Science	1996
C085	B.Sc (BIOLOGY GROUP)	C085	Batchlor of Science	1996
C137	B.Sc (COMPUTER SCIENCE GROUP)	C137	Batchlor of Science	2002
C030	B.C.A	C030	Batchlor of Computer Application	2008
C029	B.B.A	C029	Batchlor of Business Administration	2013
C018	M.A(POLITICAL SCIENCE)	C018	Master of Arts	2002
C026	M.A(SOCIOLOGY)	C026	Master of Arts	2005
C005	M.A(ECONOMICS)	C005	Master of Arts	2002
C031	M.Com	C031	Master of Commarce	2002
C046	M.Sc(COMPUTER SCIENCE)	C046	Master of Science	2008

PRINCIPAL
Govt. Degree College, Timarni
Distt. Harda (M.P.)

क्रमांक 676 अकादमी/सम्बद्धता/२०००

/वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोजपुर/

दिनांक 16/11/2000

प्रति,

प्राचार्य,
शासकाय महाविद्यालय
टिमरना, न.प्र.

विषय- त्रिदश १९९९-२००० में स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।

सहाय,

आपके आवेदन का क्रमांक ५३३/२००० दिनांक १३.४.२००० के तद में मैं विश्वविद्यालय
को विद्वत पत्रिका को स्थाई मानेति को डेटक दिनांक ३१.७.२००० में लिये गये निर्णयानुसार
कुलपतिजी द्वारा कार्य-परिपद को ओर से पूर्व में जारी किये गये पत्र क्रमांक ९९१/अकादमी/सम्बद्धता/९९
दिनांक ११.११.९९ के आदेशक संशोधन करते हुए निम्न पाठ्यक्रमों में का १९९९-२००० से स्थाई सम्बद्धता
प्रदान की जाती है।

- १- बी.ए. - हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, सभाजशास्त्र, आधार पाठ्यक्रम
- २- बी.कान. - सभी अनिवार्य विषय
- ३- बी.एन.बी. - भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, चरित्रशास्त्र, २० विषय पाठ्यक्रम

क्रमांक - /अकादमी/सम्बद्धता/२०००

दिनांक -

प्रतिनिधि-

- १- डी.सी.डी.सी., वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोजपुर
- २- अतिरिक्त संचालक आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोजपुर
- ३- सचिव, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग पटना-८ जफर मार्ग नई दिल्ली
- ४- कुलपतिजी के सचिव को ओर सूचनाार्थ।

रसानी

Principal
Govt. Degree College
Timarni (HARDA) N.P.

Signature

उपकुलपति, वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोजपुर

PRINCIPAL
Govt. Degree College
Timarni (HARDA)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

क्रमांक 1016 / अका / सम्बद्धता / 02

भोपाल, दिनांक 2/11/02

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
टिमरनी ।

विषय :- सत्र 2002 - 2003 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विषयक ।

महोदय,

अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 575 दिनांक 12-7-2002 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर विद्वत परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28-9-2002 में लिये गये निर्णयानुसार एवं स्थायी समिति के कार्यवृत्त, कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 3-10-02 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्न पाठ्यक्रमों में :-

- 1- बी.एस.सी. भाग एक - कम्प्यूटर साइंस
- 2- एम.कॉम.पूर्वार्ध
- 3- बी.कॉम.भाग एक - कम्प्यूटर एप्लीकेशन (30 छात्र संख्या)
- 4- एम.ए.पूर्वार्ध - अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र

में अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2002-2003 हेतु निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्तें :-

- (1) आपको अस्थाई सम्बद्धता आगामी सत्र 2003-2004 के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (भाग दो, तीन के लिये) के साथ निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
- (2) आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 का पालन करना होगा ।
- (3) आपको विषय से संबंधित योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति महाविद्यालय कोड 28 के प्राधान्य अन्तर्गत चयन समिति द्वारा शीघ्र करनी होगी ।
- (4) आपको संबंधित विषयों के पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी ।
- (5) आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन विवरण, विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
- (6) महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा ।
- (7) अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना होगी ।
- (8) तकनीकी/चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आपको भाग-2 एवं 3 हेतु शिक्षा विभाग के साथ साथ तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी अनुमति लेना होगी ।
- (9) उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी ।
- (10) बॉर कौंसिल ऑफ इंडिया के मापदण्डों का पालन करना होगा ।

आदेशानुसार,

[Signature]

उप-कुलसचिव(अकादमी)
भोपाल, दिनांक 2/11/02

पृ० क्रमांक 1017 / अकादमी / सम्बद्धता 2002
प्रतिलिपि :-

- 1- अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 2- उप-कुलसचिव(परीक्षा / गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
- 3- संचालक, शारीरिक शिक्षा, अधिष्ठाक, समन्वयकरा, संयोजक, कुलपति / कुलसचिव के सचिव बरकतउल्ला विद्या भोपाल ।
- 4- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

[Signature]
Principal

Govt. Degree College

TIMARNI (HARDA) M. P.

सहायक कुलसचिव(अकादमी)

PRINCIPAL
Govt. Degree
Timarni (HARDA)
JINENDR
A KUMAR
JAIN

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

330 25/8/08
भोपाल, दिनांक : 11-8-08

प्रति,
प्रचार्य,

930 dt 25/8/08

ग्राहमहाविद्यालय

दिनांक 12/8/08

विषय :- सत्र 2008-09 में अस्थाई संबंधिता नवीन महाविद्यालय/नवीन संकाय, में प्रदान करने विषयक।

महोदय,
म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 645 दिनांक 16-7-08 पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विदित परिषद की अस्थाई समिति की बैठक दिनांक 11/08/08 में भी गई अनुसूचक एवं कार्य परिषद की ओर से कुलपति को प्रदत्त शर्तियों 15(4) के तहत अस्थाई संबंधिता विषय पाठ्यक्रम में प्रदान की जाती है।

1. M.A. - Sociology
2. M.Sc. - Computer Sci.
3. B.A. - 30505
- 4.
- 5.

शर्तें

1. आपको आगामी सत्र में अस्थाई संबंधिता/विरतता प्रदान हेतु उच्च शिक्षा विभाग के अनुमति पत्र के साथ निम्नलिखित आवेदन एवं शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 का अध्यादेश 5, 6 एवं 7 का पालन करना होगा जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
3. आपको कॉलेज कोड 29 के तहत प्राचार्य एवं शिक्षक की नियुक्ति 30 अक्टूबर 2008 तक आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. महाविद्यालय के आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको शारीरिक विकास का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन कर विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर आपके महाविद्यालय के प्रदत्त अस्थाई संबंधिता स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. उपर्युक्त संबंधिता/नियमितता/ नये पाठ्यक्रम/विषय/सीट वृद्धि मानवीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर शिकायत क्रमांक 6113 दिनांक 31.07.08 में पारित आदेश में मानवीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश विधिवत् संबंधिता प्राप्त होने के बाद ही दिया जा सकेगा। इसके प्रकाश में ही अग्रीम कार्यवाही की जावे।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव अकादमी

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक : 11-8-08

पृ. क्र. 1284 अकादमी/2008

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल।
3. सचिव क्षेत्रीय संचालक एच.सी.टी.ई. श्यामल हिल्स, भोपाल।
4. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा शाखा की ओर सूचनाार्थ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक/संचालक, शारीरिक शिक्षा/अधिष्ठाता छत्र कल्याण की ओर सूचनाार्थ।

PRINCIPAL

Gora Degree College
Tharua (HARDA)

राष्ट्रिय कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

Signature: JINENDR
A KUMAR
JAIN

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1016 / अका / सम्बद्धता / 02

भोपाल, दिनांक 21/1/02

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
टिमरनी ।

विषय :- सत्र 2002 - 2003 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विषयक ।

महोदय,

अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 575 दिनांक 12-7-2002 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर विद्वत परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28-9-2002 में लिये गये निर्णयानुसार एवं स्थायी समिति के कार्यवृत्त, कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 3-10-02 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्न पाठ्यक्रमों में :-

- 1- बी.एस.सी. भाग एक - कम्प्यूटर साइंस
- 2- एम.कॉम.पूर्वाह्न
- 3- बी.कॉम.भाग एक - कम्प्यूटर एप्लीकेशन (30 छात्र संख्या)
- 4- एम.ए.पूर्वाह्न - अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र

में अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2002-2003 हेतु निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्त :-

- (1) आपको अस्थाई सम्बद्धता आगामी सत्र 2003-2004 के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (भाग दो, तीन के लिये) के साथ निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
- (2) आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 का पालन करना होगा ।
- (3) आपको विषय से संबंधित योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति महाविद्यालय कोड 28 के प्रावधान अन्तर्गत चयन समिति द्वारा शीघ्र करनी होगी ।
- (4) आपको संबंधित विषयों के पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी ।
- (5) आपको शांसी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन विवरण, विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
- (6) महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा ।
- (7) अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना होगी ।
- (8) तकनीकी/चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आपको भाग-2 एवं 3 हेतु शिक्षा विभाग के साथ साथ तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी अनुमति लेना होगी ।
- (9) उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी ।
- (10) बॉर कौंसिल ऑफ इंडिया के मापदण्डों का पालन करना होगा ।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव(अकादमी)

भोपाल, दिनांक 21/1/02

प्रतिनिधि :- 1017 / अकादमी / सम्बद्धता 2002

प्रतिनिधि :-

- 1- अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुरा भवन, भोपाल ।
- 2- उप-कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
- 3- संचालक, शांसी शिक्षा, अधिष्ठाक, सम्बन्धयुक्त सं. को, कुलपति/कुलसचिव के समक्ष बरकतउल्ला वि. वि. भोपाल ।
- 4- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुरा भवन, भोपाल ।

Principal

Govt. Degree College

TIMARNI (HARDA) M. P.

सहायक कुलसचिव(अकादमी)

PRINCIPAL

Govt. Degree College

Timarni (HARDA)

Signature of JINENDR A KUMAR JAIN

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1293 / अका. / सम्वद्धता / 08

भोपाल, दिनांक: 11/8/08

प्रति,

प्राचार्य,

शा.स. महाविद्यालय, टिमरनी,

जिला-हरदा.

विषय :- सत्र 2007-2008 हेतु कार्यान्तर अस्थाई सम्वद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

उच्च शिक्षा विभाग, के पत्र क्रमांक 949/978, दिनांक 26.06.07 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विद्वत परिषद की स्थायी समिति की बैठक 05.05.08 में की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.05.08 एवं 30.06.08 में अनुमोदनो उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नांकित पाठ्यक्रम में

- | | |
|---|-----------------|
| 1. बी.सी.ए प्रथम | छात्र संख्या-30 |
| 2. एम.ए.पूर्वाद्ध | समाजशास्त्र |
| 3. एम.एस.सी.पूर्वाद्ध (कम्प्यूटर साइंस) | छात्र संख्या-20 |

अस्थाई सम्वद्धता सत्र 2007-2008 हेतु निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्तें :-

- (1) आपको अस्थाई सम्वद्धता आगामी सत्र 2008-2009 हेतु उच्च शिक्षा विभाग के अनुमति पत्र एवं निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा ।
- (2) आपको विश्वविद्यालय परिनियम एवं परीक्षा अध्यादेश क्र 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।
- (3) महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा ।
- (4) अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना होगी ।

आदेशानुसार,

[Signature]

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 11/8/08

पृ. क्रमांक 1294 / अका. / सम्वद्धता / 07

प्रतिलिपि :-

- 1- अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 2- अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 3- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 4- कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
- 5- कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक, संचालक, शारीरिक शिक्षा, अधि. छा. क. सम्वद्धता से, यो. बरकतउल्ला वि. वि. भोपाल

[Signature]

सहायक कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



वरकतउत्तरा विश्वविद्यालय भोपाल

कमांक 2499 / अकादमी/संबद्धता/2014

भोपाल, दिनांक 25-11-2014

प्राचार्य

शा.स. मन्त्रालय, दिल्ली
जिला हरदा

आय. शा.स. मन्त्रालय, दिल्ली
दिनांक 25-11-2014

पृष्ठ सं 1500 * 24/12/14

विषय:-सत्र 2014-15 में अस्थाई संबद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक. 91/2 दि. 25.01.2014 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.10.2014 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की ओर से 15(4) में कुलपति जी के अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को प्रदर्शित शर्तों के आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों :-

1. बी.ए. भाग-2 कम्प्यूटर एप्लीकेशन, 60 छात्र संख्या
2. बी.बी.ए. भाग-2 60 छात्र संख्या

अस्थाई संबद्धता सत्र 2014-15 के लिए प्रदान की जाती है।

शर्तें:-

1. प्रदत्त अस्थाई संबद्धता में निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2015-16 के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण निर्धारित आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27, 28 एवं परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 का पालन करना होगा।
3. आपको संबंधित विषयों के समुचित अध्ययन / अध्यापन हेतु पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी।
4. महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
5. म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना आवश्यक होगा।

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव, अकादमी

भोपाल, दिनांक 25-11-2014

पृ0कमांक 2499 / अकादमी/संबद्धता/2014

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुरा भवन भोपाल।
2. अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा वरकतउत्तरा विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक संचालक, शा.स. मन्त्रालय, अ.वि.छ.कल्याण, वरकतउत्तरा विश्वविद्यालय भोपाल

Kiran22

PRINCIPAL
Govt Degree College
Tinnadi (HARDA)

Signature: JINENDR
A KUMAR
JAIN



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1395/अकादमी/संवद्धता/2013
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13-6-13

प्राचार्य, सचिव

Govt. College
Tinnawari

श्री. कृष्ण कृष्ण
विद्यालय, बरकतउल्ला

विषय-सत्र 2013-14 में अस्थाई संवद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 210 दिनांक 28-2-13 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.05.13 में लिए गए निर्णय तथा कुलपति जी को प्रदत्त शक्ति 15(4) के अन्तर्गत अनुमोदन एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अस्थाई संवद्धता सत्र 2013-14 के लिए निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. B.A-I Computer 60 (Sixty)
2. B.B.A-I 60 (Sixty)
3.

शर्त:-

1. प्रदत्त अस्थाई संवद्धता में निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2014-15 के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित संवद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27, 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5, 6, 7 का पालन करना होगा ।
3. आपको विषय से संबंधित योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम कोड-28 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत तीन माह में पूर्ण करनी होगी ।
4. आपको संबंधित विषयों के समुचित अध्ययन / अध्यापन हेतु पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी ।
5. शारीरिक विकास की नियमित बैठकों का आयोजन कर प्रतिवेदन विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
6. महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा ।
7. मोप्रो शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना आवश्यक होगा । जिरामें भूमि भवन संबंधित अभिलेख की जानकारी संलग्न करनी होगी ।
8. उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर विश्वविद्यालय परिनियम 27 के तहत संवद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।

नोट:- महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड 28 के तहत पूर्ण कर उनके नियुक्ति आदेश/कार्यभार पत्र आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक 1396/अकादमी/संवद्धता/2013

प्रति,

भोपाल, दिनांक 13-6-13

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुरा भवन भोपाल ।
2. अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. उपकुलसचिव/मोपसी/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा, अधि. प्र. कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
5. वेब-साईट प्रभारी, इस आशय के साथ कि संबंधित जानकारी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की वेब-साईट पर प्रदर्शित करें ।

PRINCIPAL

Govt. Degree College
Tinnawari (HARDA)

कुलसचिव

Signature: JINENDR
A KUMAR
JAIN



BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

No. 4294/Acad./Affi./2015

Date: 20/05/15

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that **Govt. Degree College, Timarni, Distt. Harda, Madhya Pradesh** is affiliated to the Barkatullah University since **1983** and the following Courses/ subjects are taught in the said college.

S.N.	Name of Course	Affiliation		Period of Validity for the years
		Permanent	Temporary	
1	B.A. Three year F.C. Hindi, Socology, Pol. Sc. Economics,	Permanent		1995 to tilldate
2	B.Sc. Physics, Chemistry, Matahmatics, Botany, Zoology	Permanent		---
3	B.Com. . Three year All Compulsory papers	Permanent		-----
4	B.Com. Computer Appl.	Temporary		-----
5	B.Sc. Computer Sc.	Temporary		-----
6	M.A. F. Eco., Pol Sc. Sociology	Temporary		-----
6	M.Com. F	Temporary		-----
7	M.Sc. F. Computer Science, Two Year	Temporary		-----
8	BCA III	Temporary		-----
9	BA II Computer Appl.	Temporary		-----
10	BBA II	Temporary		-----

Affiliation given to this college and it's courses, is valid as on date of issue of this letter.

भा.स. बरकतुल्लाह महाविद्यालय,
दिल्ली (दिल्ली)

295/21/5/15

Dr. Anand Kumar
21-5-15

Registrar

(With seal and Signature)

Registrar
Barkatullah University
Bhopal (M.P.)

Signature: JINENDR
A KUMAR
JAIN

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 708/484/आउशि/शा-5/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 18 अगस्त, 2018

प्राचार्य/सचिव, जनभागीदारी समिति,
समस्त शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.

विषय: शैक्षणिक सत्र 2018-19 अंतर्गत पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत।

संदर्भ: कार्यालय, आयुक्त, उच्चशिक्षा का पत्र क्र. 680/484/आउशि/शाखा-5/2018, दि. 11.8.2018

—0—

विषयान्तर्गत संदर्भित बाबत लेख है कि कतिपय शासकीय महाविद्यालयों द्वारा यह पृच्छा की गई है कि कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा के संदर्भित आदेश क्र. 680/484/आउशि/शाखा-5/2018, दिनांक 11.8.2018 के तहत दिये सीट संख्या में वृद्धि, क्या परम्परागत पाठ्यक्रमों के साथ-साथ जन भागीदारी के पाठ्यक्रमों में लागू है ?

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश में दिये प्रावधान जनभागीदारी मद से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु भी लागू है अर्थात् विद्यार्थियों के हित में सी.एल.सी. द्वितीय चरण के सीट आवंटन से पूर्व महाविद्यालयों में प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19 की कंडिक 4.1 के अनुक्रम में सीट संख्या में परिवर्तन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है—

1. शासकीय महाविद्यालय सामान्यतः आवश्यकतानुसार 10% सीट संख्या में वृद्धि कर सकेंगे।
2. 25% तक सीट संख्या विशेष परिस्थितियों जैसे अत्यधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश आवेदन प्राप्त होने तथा महाविद्यालय में पर्याप्त स्थान एवं शिक्षण व्यवस्था होने पर ही की जा सकेगी।
3. सीट वृद्धि निम्न शर्तों पर की जा सकेगी —
 - जनभागीदारी समिति से निम्न कार्य हेतु आवश्यक अनुमति एवं राशि प्राप्त की जाना सुनिश्चित की जाए।
 - महाविद्यालय में अधोसंरचना/कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय की पर्याप्त सुविधा।
 - शिक्षण हेतु प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/अतिथि व्याख्याता की पर्याप्त व्यवस्था।
 - परीक्षा संचालन हेतु समुचित सुविधा।
 - समस्त सीट वृद्धि की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से समय सीमा में प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा।
 - सीट वृद्धि निर्णय की सूचना संचालनालय को भी दी जाये।
 - सी.एल.सी. चरण समाप्त होने के पूर्व सीट वृद्धि की कार्यवाही पूर्ण कर छात्रों को नियमानुसार प्रवेश सुनिश्चित करें।

(18/08/18)

(अजीत कुमार)

आयुक्त/सचिव

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Principal
Govt. Degree College
TIMARNI (HARDA) M.P.

Signature: JINENDR
A KUMAR
JAIN

पृ क्रमांक 709/484/आउशि/शा-5/2018
प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक: 18 अगस्त, 2018

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन।
2. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल।
3. सतस्त कुलसचिव परंपरागत विश्वविद्यालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
4. अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, समस्त शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
6. आई.टी. प्रभारी उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
.....की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

(18/08/18)

आयुक्त/सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Heu
Principal
Govt. Degree College
TIMARNI (HARDA) M.P.

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 650/484/आउशि/शा-5/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 11 अगस्त, 2018

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.

विषय: शैक्षणिक सत्र 2018-19 अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि बाबत।

—0—

विषयान्तर्गत बाबत लेख है कि कतिपय शासकीय महाविद्यालयों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय में अधिक सीट संख्या में आवेदकों द्वारा सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। अतः विद्यार्थियों के हित में सी.एल.सी. चरण के आवंटन से पूर्व महाविद्यालयों में प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19 की कंडिक 4.1 के अनुक्रम में सीट संख्या में परिवर्तन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है—

1. शासकीय महाविद्यालय सामान्यतः आवश्यकतानुसार 10% सीट संख्या में वृद्धि कर सकेंगे।
2. 25% तक सीट संख्या विशेष परिस्थितियों जैसे अत्यधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश आवेदन प्राप्त होने तथा महाविद्यालय में पर्याप्त स्थान एवं शिक्षण व्यवस्था होने पर ही की जा सकेगी।
3. सीट वृद्धि निम्न शर्तों पर की जा सकेगी —
 - महाविद्यालय में अधोसंरचना/कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय की पर्याप्त सुविधा।
 - शिक्षण हेतु प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/अतिथि व्याख्याता की पर्याप्त व्यवस्था।
 - परीक्षा संचालन हेतु समुचित सुविधा।
 - समस्त सीट वृद्धि की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से समय सीमा में प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा।
 - सीट वृद्धि निर्णय की सूचना संचालनालय को भी दी जाये।
 - सी.एल.सी. चरण समाप्त होने के पूर्व सीट वृद्धि की कार्यवाही पूर्ण कर छात्रों को नियमानुसार प्रवेश सुनिश्चित करें।

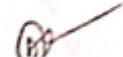


(अजीत कुमार)
आयुक्त/सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ क्रमांक 651/484/आउशि/शा-5/2018
प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक: 11 अगस्त, 2018

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन।
2. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त कुलसचिव परंपरागत विश्वविद्यालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
5. आई.टी. प्रभारी उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
.....की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।



आयुक्त/सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश